(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 40/2024

पंजीकरण सं. :– 2024/94

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री कैलाश चन्द उम्र 38 वर्ष जाति राठौर निवासी काछी मौहल्ला हरनावदाशाहजी छीपाबडौद जिला बारॉ राज0 (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– नन्दकिशोर, कैलाश चन्द किराना स्टोर, शीतला माता मन्दिर के पास, हरनावदाशाहजी छीपाबडौद जिला बारॉ।
2. मैसर्स– नन्दकिशोर, कैलाश चन्द किराना स्टोर, शीतला माता मन्दिर के पास, हरनावदाशाहजी छीपाबडौद जिला बारॉ।
3. श्री मुरली मनोहर गोयल पुत्र श्री प्रभूलाल निवासी कोली मौहल्ला मेला रास्ता अकलेरा जिला झालावाड राज0–326033 (मालिक) मैसर्स– प्रभूलाल एण्ड सन्स अकलेरा, प्रेम विहार कॉलोनी, तीन बत्ती चौराहा, अकलेरा जिला झालावाड राज0 326033
4. मैसर्स– प्रभूलाल एण्ड सन्स अकलेरा, प्रेम विहार कॉलोनी, तीन बत्ती चौराहा, अकलेरा जिला झालावाड राज0
5. श्री ऋषि आर्य पुत्र श्री सत्येन्द्र कुमार आर्य निवासी–20, यश विहार मडरपुर रोड घासीराम नगर भरतपुर राज0– 321001 (मालिक) मैसर्स–आर्या ट्रेडिंग कम्पनी, प्लाट–20, घासीराम नगर मडरपुर रोड भरतपुर (राज0)
6. मैसर्स–आर्या ट्रेडिंग कम्पनी, प्लाट–20, घासीराम नगर मडरपुर रोड भरतपुर (राज0) 321001
7. श्री कपिल पुत्र श्री सूरज सिंह निवासी 251 नरायच रामबाग आगरा चौगान यू.पी.–282006 (नॉमिनी) मैसर्स– तपन एग्रो इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, 1 कुसुम विहार, दयाल बाग, आगरा उत्तर प्रदेश–282005
8. मैसर्स– तपन एग्रो इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, 1 कुसुम विहार, दयाल बाग, आगरा उत्तर प्रदेश–282005

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री गजेन्द्र नागर अभिभाषक (अप्रार्थी कम 1 ता 8)

निर्णय दिनांक 23.08.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.06.2023 को मैसर्स– नन्दकिशोर, कैलाश चन्द किराना स्टोर, शीतला माता मन्दिर के पास, हरनावदाशाहजी छीपाबडौद जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री कैलाशचन्द राठौर (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.06.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.09.05 12:20:48 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **कुकिंग मिडियम (तपन) 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक** के 12 लीटर रैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **कुकिंग मिडियम (तपन) 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **कुकिंग मिडियम (तपन) 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक** के 500–500 ग्राम के 04 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री कैलाश चन्द राठौर (विक्रेता एवं मालिक) को 800/– रूपये (अक्षरे आठ सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **कुकिंग मिडियम (तपन) 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक** 500 ग्राम के 04 पैकिट के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1886 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1886 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री कैलाश चन्द राठोर (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/327 दिनांक 19.07.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1185/PHL/kota/Act/2023/1190 दिनांक 11.07.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **कुकिंग मिडियम (तपन) 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standrad)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 15.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **कुकिंग मिडियम (तपन) 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standrad)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के संपूर्ण तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवेदक द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर उक्त कार्यवाही की गई है जो काबिल निरस्तनीय है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा अप्रार्थी क्रम 5 ता 8 से घी व अन्य प्रोडक्ट को बंद पैकिंग मे खरीद कर अपनी दुकान पर बेचान करते है। अप्रार्थी क्रम 5 ता 8 द्वारा उक्त प्रोडक्ट की जांच परख कर सही पाये जाने पर ही विक्रय हेतु भेजते है, उनके द्वारा किसी प्रकार का मिलावटी प्रोडक्ट तैयार करवाकर विक्रय नही किया गया है, जो आम जनता के लिये घातक हो। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण पर मिथ्या आरोप लगाये है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से छुपकर जानकारी मे लाये बिना झूठी कार्यवाही माननीय न्यायालय मे पेश की है जो काबिल निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.09.05 12:20:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि सेम्पल नियमानुसार लिया गया है एवं जिस लेबोरेट्री से जांच करवाई गई है, वह राज्य सरकार एवं एफएसएसएआई, दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। प्रकरण मे अभियोजन स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त की गई है। अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 1185/PHL/kota/Act/2023/1190 दिनांक 11.07.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **कुकिंग मिडियम (तपन) 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक** निर्दिष्ट खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 1185/PHL/kota/Act /2023/1190 दिनांक 11.07.2023 से धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standrad)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी क्रम 05 ता 08 को कुल जुर्माना राशि 1,00,000/— रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 05 ता 08 उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **23.08.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.09.05 12:20:48 IST
Reason: SelfAttested